कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जीतमल यार्न प्रा0 लि0, के-47 / 343 ए & 330, कटरा रामगंज, विशेश्वर गंज वाराणसी ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**016 / 14, 07.03.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सौरभ सिंह गहलौत, विद्वान अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री जीतमल यार्न प्रा0 लि0, के-47 / 343 ए & 330, कटरा रामगंज, विशेश्वर गंज वाराणसी द्वारा दिनांक 07.03.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' Synthetic filament yarn (Nylon / Polyamide)-Including Nylon / Polyamide mono filament yarn less than 67 decitex '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री सौरभ सिंह गहलौत, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि Nylon mono filament yarn and multifilament yarn का व्यापार किया जाता है जिसको Polyamide yarn भी कहा जाता है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा पत्र संख्या-3619, दिनांक 26.03.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा बिक्री की जाने वाली वस्तु Synthetic filament yarn (Nylon / Polyamide)-Including Nylon / Polyamide mono filament yarn less than 67 decitex पर कर की दर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न (नायलान / पालीएमायड) कैपरोलेक्टम एवं पानी से बनाया जाता है जो आल टाइप यार्न के अन्तर्गत आता है तथा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-6 पर अंकित होने के कारण सरचार्ज सहित 5% की दर से करदेय वस्तु है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि यार्न के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-10 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Cotton yarn in hanks and cones, silk yarn in hanks and cones; Poly cotton roving (puni) and slibers; Cotton newar, hand spun yarn, handloom newar; baan made of kaans, moonj or sunn, Polyester and staple fibre yarn

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-6 पर निम्न प्रविष्टि है :-

All types of yarn other than cotton & silk yarn in hank; sewing thread ; cotton waste yarn.

प्रार्थी द्वारा Synthetic filament yarn जिसे Nylon या Polyamide yarn भी कहते हैं का व्यापार किया

....2

जाता है जो न तो पालिएस्टर फाइबर यार्न है और न ही स्टैपिल फाइबर यार्न है। Nylon filament yarn उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-10 की प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है। यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-6 पर अंकित All types of yarn के अन्तर्गत सम्मिलित माना जा सकता है और तदनुसार इस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया। पाया गया कि Synthetic filament yarn (Nylon / Polyamide)-Including Nylon / Polyamide mono filament yarn less than 67 decitex उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-6 पर अंकित प्रविष्टि All types of yarn के अन्तर्गत सम्मिलित है। अतः इस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 11 अप्रैल, 2014

ह0 / 11.04.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।